निबंधन संख्या पी0टी0-40





8 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 869) पटना, शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

सामान्य प्रशासन विमाग

अधिसूचना

29 अगस्त 2024

सं० 26/नि0नि0–19–01/2023–13717/सा0प्र0–भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **''बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति** नियमावली, 2023'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 🛏
 - (i) यह नियमावली " बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2024'' कही जा सकेगी।
 - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के नियम-5 (i), नियम-6 (vi) (ख) तथा नियम-7 (ii) (ख) का संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-5 (i) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना" द्वारा; नियम-6 (vi) (ख) में अंकित "निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल संस्कृति एवं युवा विभाग" को "निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "निदेशक, येल विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना" द्वारा तथा नियम-7 (ii) (ख) में अंकित "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल तिभाग, बिहार, पटना" को "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ढॉ० बी० राजेन्दर, सरकार के प्रधान सचिव।

29 अगस्त 2024

सं० २६ / नि०नि०--१९--०१ / २०२३--१३७१८ / सा०प्र० / अधिसूचना संख्या--१३७१७, दिनांक २९ अगस्त २०२४ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> बिहार--राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 बी0 राजेन्दर, सरकार के प्रधान सचिव।

The 29th August 2024

No.-26/Ni.Ni-19-01/2023-13717/GAD—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules for amendment of "The Bihar Outstanding Sportspersons Direct Appointment Rules, 2023" :-

- 1. Short title, extent and commencement:-
 - (i) These Rules may be called as the "The Bihar Outstanding Sportspersons Direct Appointment (Amendment) Rules, 2024"
 - (ii) It shall extend to the whole State of Bihar.
 - (iii) It shall come into force at once.

2. Amendment in the Rule 5 (i), 6 (vi) (b) and 7 (ii) (b) of The Bihar Outstanding Sportspersons Direct Appointment Rules, 2024.—

"Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary; Art, Culture and Youth Department" mentioned in Rule 5 (i) of the said Rules is substituted by "Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Sports Department, Bihar, Patna", "Director, Art, Culture and Youth Department" mentioned in Rule 6 (vi) (b) is substituted by "Director, Sports Department, Bihar, Patna" and "Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Art, Culture and Youth Department" mentioned in Rule 7 (ii) (b) is substituted by "Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Sports Department, Bihar, Patna"

> By order of the Governor of Bihar, Dr. B. Rajender, Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 869-571+300-डी0टी0पी0। Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>